न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/341/2017

उनवान

1. भूरा पिता भोना कुमावत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मांगू पिता भोना कुमावत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
2. बेणा पुत्र मेघा कुमावत निवासी कारोई, तहसील व जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या 25/2015 निर्णय दिनांक 23.6.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री अम्बालाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री के सी कुमावत,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 2
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व अपीलार्थी/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के अधिकार आधिपत्य एवं खातेदारी हक की कृषि आराजियात ग्राम कारोई कला पटवार हल्का कारोईकलॉ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 834 में आराजी नम्बर 2774 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी, आराजी नम्बर 2782 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही, आराजी नम्बर 2783 रकबा 10 बिस्वा किस्म बंजड, आराजी नम्बर 2785 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, किस्म चाही, आराजी नम्बर 2786 रकबा 08 बिस्वा किस्म बारानी, आराजी नम्बर 2787 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, आराजी नम्बर 5081/2, 785 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी स्थित है। उक्त आराजियात के वादीगण एकमात्र तन्हा मालिक है। उक्त आराजियात पर वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन वादीगण की उपरोक्त आराजियात पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करते रहता है तथा वादीगण के कब्जे में दखल करने की नियत से आराजी में प्रवेश कर जाते व धन–बल व भुजबल के आधार पर नाजायज कब्जा बनाये रखने की कोशिश करता रहता है।

2. वादी द्वारा अपनी उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी के लिए उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 256/2013 होकर निर्णय दिनांक 31.5.2013 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान किया गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक कारोई कलॉ द्वारा दिनांक 13.6.2014 को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की गई तथा मौके पर पत्थर लगाकर निशानात कायम किये गये । मौका पर्चा अनुसार वादीगण की आराजियात में से आराजी नम्बर 2782, 2786, 2787 के रकबे में से डेढ बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ने पत्थर की दीवार बनाकर कब्जा करना बताया । प्रतिवादी नम्बर 1 ने हम वादीगण द्वारा पत्थरगढी आवेदन प्रस्तुत करने के बाद एवं उसमें आदेश हो जाने के बाद वादीगण की आराजियात पर कब्जा कर पत्थर की दीवार बनाई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 अपने भुजबल व धनबल से वादीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा बनाये हुए है। जिसका उसे कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। वादीगण 60 वर्ष से अधिक की उम्र के होकर प्रतिवादी संख्या 1 से लडाई झगडा करने की हालत में नहीं है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में से आराजी नम्बर 2782, 2786, 2787 पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये कब्जे को हटाये जाने की डिक्री पारित की जावे एवं प्रतिवादी संख्य 1 द्वारा जून 2014 से अवैध कब्जा बनाये रखने से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से क्षतिपूर्ति व हर्जाने की राशि दिलाये जाने की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 पारित की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की अपीलाण्ट को प्रथम बार जानकारी पटवारी हल्का कारोई से दिनांक 18.9.2017 को जमाबंदी की नकल लेने जाने पर हुई एवं उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल के लिए आवेदन पत्र दिनांक 20.9.2017 को पेश करने व दिनांक 1.11.2017 को नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने दिनांक 22.8.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसके साथ कार्यालय तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा जारी पत्र क्रमांक/भूअ/2018/4790 दिनांक 31.6.2018 जो कि उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा को प्रेषित किया गया था तथा कार्यालय भू अभिलेख निरीक्षक वृत भीलवाडा का जारी सूचना पत्र बाबत पत्थरगढी एवं मौका पर्चा ग्राम कारोई कला दिनांक 16.6.2018 की सत्य फोटो प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करने से अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया था, इस कारण उक्त दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाया था। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट ने भी अपनी आराजियात की पत्थरगढी की कार्यवाही कर रखी है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक कारोई द्वारा सीमा चिन्ह बताये एवं कायम किये गये थे, जिससे किसी प्रकार से रेस्पोडेण्ट्स/वादीगण की आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा होन नहीं पाया गया है। रेस्पोडेण्ट्स/वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत तौर पर मौका पर्चा कायम करवाया है एवं इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पेश किया है। जिस पर अपीलाण्ट को सुनवाई, साक्ष्य, जवाब इत्यादि पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं राजस्व लोक अदालत में बिना अपीलाण्ट की उपस्थिति में दावा डिक्री किये जाने में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भारी भूल की है। । इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विवादित बिन्दु का विनिश्चय साक्ष्य एवं दस्तावेजों से ही साबित किया जाना था लेकिन बिना ही दोनों पक्षों की रजामंदी सहमति के बिना ही दावा डिक्री किया ही नहीं जा सकता । उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट की कहीं भी सहमति नहीं रही है। इस कारण वादीगण का वाद पत्र डिक्री किये जाने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पूर्ण अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो निरिस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय में जवाब, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध नहीं कराया गया एवं न ही अपीलाण्ट का पक्ष सुना गया है न ही राजस्व कैम्प में अपीलाण्ट उपस्थित रह है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिलाया जावे।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त उपस्थित नहीं था तो उक्त प्रकरण का आपसी सहमति से निस्तारण ही अवैध हो जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अपीलार्थी पर प्रोपर तामील नही हुई थी जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका एवं प्रकरण की फर्द अहकाम पर भी अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

11. प्रत्यर्थी संख्या के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी को भी खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेज का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसके साथ कार्यालय तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा जारी पत्र कमांक/भूअ/2018/4790 दिनांक 31.6.2018 जो कि उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा को प्रेषित किया गया था तथा कार्यालय भू अभिलेख निरीक्षक वृत भीलवाडा का जारी सूचना पत्र बाबत पत्थरगढी एवं मौका पर्चा ग्राम कारोई कला दिनांक 16.6.2018 की सत्य फोटो प्रति प्रस्तुत कर इन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थी/प्रार्थी ने जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं वे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट, सूचना पत्र (भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जारी) , तथा मौका पर्चा की सत्य फोटो प्रति है। जो प्रकरण से संबंधित होकर राजस्व दस्तावेजात है, उक्त दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा कराई गई पत्थरगढी से संबंधित दस्तावेज है। जिन्हें रेकार्ड पर लिये जाना न्यायहित में होगा । अतः अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है।

14. अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 व अपीलार्थी/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादीगण के खातेदारी हक की कृषि आराजियात ग्राम कारोई कला पटवार हल्का कारोईकलॉ तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 834 में आराजी नम्बर 2774 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी, आराजी नम्बर 2782 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही, आराजी नम्बर 2783 रकबा 10 बिस्वा किस्म बंजड, आराजी नम्बर 2785 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, किस्म चाही, आराजी नम्बर 2786 रकबा 08 बिस्वा किस्म बारानी, आराजी नम्बर 2787 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, आराजी नम्बर 5081/2, 785 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन वादीगण की उपरोक्त आराजियात पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करते रहता है। वादी द्वारा अपनी उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी के लिए उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक कारोई कलॉ द्वारा दिनांक 13.6.2014 को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की गई तथा मौका पर्चा अनुसार वादीगण की आराजियात में से आराजी नम्बर 2782, 2786, 2787 के रकबे में से डेढ बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ने पत्थर की दीवार बनाकर कब्जा करना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बताया । प्रतिवादी संख्या 1 अपने भुजबल व धनबल से वादीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा बनाये हुए है। जिसका उसे कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। अतः वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में से आराजी नम्बर 2782, 2786, 2787 पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये कब्जे को हटाये जाने की डिक्री पारित की जावे एवं प्रतिवादी संख्य 1 द्वारा जून 2014 से अवैध कब्जा बनाये रखने से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से क्षतिपूर्ति व हर्जाने की राशि दिलाई जावे।

15. अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 28.5.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी/अपीलार्थी को जारी नोटिस बाद तामील अथवा अदम तामील संलग्न नहीं है। जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रोपर तामील हो गई थी। अपीलार्थी ने भी यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई है जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह प्रतिवादी को नोटिस की प्रोपर तामील कराये जाने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन करने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

16. अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन करने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रतिवादी को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण दर्ज दर्ज होने के उपरान्त नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.6.2015 को उभयपक्ष की उपस्थिति दर्ज की गई है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 को जारी नोटिस की बाद तामील अथवा अदम तामील प्रति ही संलग्न नहीं है। प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 15.6.2015, 25.8.2015 , 6.10.2015, 8. 12.2015, 16.2.2016 को प्रकरण में कोई कार्यवाही नही हो पाई थी। नियत तारीख पेशी दिनांक 16.2.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.4.2016 नियत की गई थी। परन्तु नियत तारीख पेशी दिनांक 26.4.2016 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई एवं प्रकरण को दिनांक 11.5.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोई कारोई कलॉ पर रखा गया । प्रकरण को लोक अदालत कैम्प कारोई में दिनांक 11.5.2016 को नियत किये जाने की सूचना उभयपक्ष को दिये जाने संबंधी कोई नोटिस/सूचना पत्र अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। जबकि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु उन्हें सूचना पत्र जारी कर सूचित किया जाना अनिवार्य होता है।

17. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अधिकार पत्र का अवलोकन किया गया । प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी का अधिकार पत्र में नाम भूरा आत्मज श्री भोना कुमावत निवासी कारोई का खेडा अंकित किया गया है। जिसमें अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत को अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। परन्तु अधिवक्ता नियुक्त करने वाले के हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा निशानी मांगू की लगाई गई है। जो कि प्रकरण में प्रतिवादी नहीं होकर वादी संख्या 1 रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अवलोकन किये बिना ही उसे संलग्न पत्रावली किया गया है एवं प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1 की उपस्थिति दर्शाई गई है। जबकि उक्त अधिकार पत्र बाबत आदेशिका में कोई अंकन भी नहीं किया गया है।

18. राजस्व लोक अदालत कैम्प काराई कला में दिनांक 11.5.2016 को प्रकरण का निस्तारण नहीं होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.8.2016 नियत की गई है। दिनांक 9.8.2016 को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनाक 15.11.2016 नियत की गई थी। नियत तारीख पेशी दिनांक 15.11.2016 को भी पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.2.2017 नियत की गई। उक्त नियत तारीख पेशी दिनांक 17.2.2017 को भी पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.5.2017 नियत की गई। परन्तु नियत तारीख पेशी दिनांक 19.5.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है। प्रकरण को राजस्व कैम्प कोर्ट कारोई कला पर नियत किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 23.6.2017 को कैम्प कोर्ट कारोई में रखे जाने बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को कैम्प कोर्ट में उपस्थित रहने बाबत नोटिस जारी किये गये हैं। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी को जारी नोटिस की पुश्त पर दस्तखत भूरा लाल के किये गये है। जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें अपीलार्थी द्वारा अंगूठा निशानी लगाई गई है।

19. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी को प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त जारी नोटिस की बाद तामील अथवा अदम तामील प्राप्त होने बाबत किसी आदेशिका में अंकन नही किया गया है एवं न ही नोटिस अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय की पत्रावली में संलग्न ही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अधिकार पत्र भी प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी द्वारा नहीं दिया गया है। उक्त अधिकार पत्र भी फर्जी तौर पर दिया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को जारी नोटिस की तामील नहीं हो पाई थी जिससे अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला पाया था जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका । जबकि मूल वाद में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज के उपरान्त ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

20. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 4-12-19 को उपस्थित रहें।

21. निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

27/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा